BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 29 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. गौरव पुत्र योगेश, 2. मोहित पुत्र धनीराम, 3. राजकुमार उर्फ राजू 4. उमेश पुत्रगण दिनेश निवासीगण पटटे का मौहल्ला कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर व 5. हिमांशु उर्फ भूरा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी चिरौरा रानी कात्यायनी थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2022 में वादी श्री भूप्रकाश पुत्र रामचन्द्र निवासी खुशालाबाद थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के भाई के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2022 को थाना डिबाई पर मुअसं– 292/2022 धारा 147/452/323/304/149/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.08.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 13 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 29.01.2025 को न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गौरव, मोहित, राजकुमार उर्फ राजू, उमेश व हिमांशु उर्फ भूरा को 10-10 वर्ष का कारावास व 19-19 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार, श्री वरुण कुमार एवं श्री आशुतोष सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।